

परिशिष्ट-3

निर्णय क्रमांक : 10

न.क्र. पेड/2019/लेखा

विषय : आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में।

—00—

आयोग की बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(अ) ऑफलाइन (Offline) परीक्षाओं/सीधे घयन हेतु शुल्क :-			
स. क्र.	घयन का प्रकार	सामान्य वर्ग/श्रेणी तथा प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए	मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन अभ्यर्थियों लिए
01	राज्य सेवा (प्रारम्भिक) तथा सीधे साक्षात्कार द्वारा घयन	रु. 1,500/-	रु. 750/-
02	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा	रु. 2,000/-	रु. 1,000/-
03	अन्य लिखित मुख्य परीक्षा	रु. 2,000/-	रु. 1,000/-

(ब) ऑनलाइन (Online) परीक्षाओं हेतु शुल्क :-			
स. क्र.	घयन का प्रकार	सामान्य वर्ग/श्रेणी तथा प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए	मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन अभ्यर्थियों लिए
01	एक प्रश्नपत्र की परीक्षा	रु. 2,500/-	रु. 1,250/-
02	दो प्रश्नपत्र की परीक्षा	रु. 3,000/-	रु. 1,500/-
03	तीन प्रश्नपत्र की परीक्षा	रु. 4,000/-	रु. 2,000/-

H. Lalwani
 अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1)
 मंत्रालय, भोपाल